2017/00426

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री नानूराम पुत्र हजारीराम ग्राम पोस्ट रोट तहसील जायल जिला नागौर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 238 / 17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट,2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

18.12.17

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। लोक सूचना अधिकारी के विभागीय को सुना गया।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 13.04.17 में वर्णित सूचना अति. जिला कलक्टर, बीकानेर से चाही गई थी। सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब क्रमांक 1664 दिनांक 17.10.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन–पत्र के संलग्न 10/– रूपये का भारतीय पोस्टल ऑडर लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के पक्ष में अंकित नहीं होने के कारण आवेदक को कार्यालय के पत्र संख्या 601 दिनांक 19.4.17 द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से सूचित किया गया। आवेदक द्वारा पांच माह बाद अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर द्वारा प्रस्तुत जवाब के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा कोई आपति/प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं हुई है। हम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के इस मत से भी सहमत है कि अपीलार्थी द्वारा बाद गुजरने मियाद अपील पेश की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

5. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत मूल प्रार्थना–पत्र मय पोस्टल ऑडर संख्या 35एफ183362 रूपये 10/– लौटाया जाता है। यदि प्रार्थी/अपीलार्थी चाहे तो नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

6. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर